रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1

PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 5] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 1985/चैत्र 12, 1907

No. 5] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 1985/CHAITRA 12, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वस्त्र विभाग)

(वस्त्र आयुक्त का कार्यालय)

बम्बई, 30 मार्च, 1985

अधिसूचना

सं. सी. ई. आर./17/85/1

का. सं. 22/4/81-सीटीआई.—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खण्ड 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा निम्नलिखित निदेश जारी करता हूं :—

(एक) यह निदेश 1 अप्रैल, 1985 को प्रभावी होंगे तथा 31 मार्च, 1990 तक प्रभाव में रहेंगे।

(दो) सूत के सभी उत्पादक इन नियमों का अनुपालन करेंगे।

(तीन) यदि, सूत का उत्पादक किसी ठोस कारण से इस अधिसूचना के उपबंधों का अनुपालन करने में असमर्थ हो तो वह अधिसूचना के अनुपालन में अपनी असमर्थता का पूरा स्पष्टीकरण देते हुए संबंधित प्रादेशिक कार्यालय, जिसकी अधिकारिता में इकाई स्थापित है, के माध्यम से वस्त्र आयुक्त को आवेदन करके उनसे विशिष्ट आदेश प्राप्त करें।

2. सूत का हर उत्पादक अप्रैल-सितम्बर, 1985 से शुरू होने वाली प्रत्येक छः माह की अवधि में और उसके बाद आने वाली छः माह की अवधि में नागरीय उपभोग के लिए हैंक रूप में सूत पैक करेगा जो उसके द्वारा नागरी उपभोग के लिए पैक किए गए कुल सूत के पचास प्रतिशत के अनुपात से कम नहीं होगा।

परन्तु यह कि हैंक रूप में पैक होने वाले सूत का कम से कम पिचासी प्रतिशत 40 काउन्ट या उससे कम में होगा।

परन्तु यह और कि किसी विशिष्ट छः माह की अवधि से संबंधित हैंक सूत पैक करने की बाध्यता, जिससे बाध्यता संबंधित हो, उस अवधि के बाद आने वाले महीने की समाप्ति से पूर्व पूरी की जा सकती है।

3. इन निदेशों के कार्यान्वयन के दौरान नागरी उपभोग के लिए हैंक रूप में पैंसठ प्रतिशत सूत तथा 40 काउंट से कम काउंट के उत्पादन के नब्बे प्रतिशत उत्पादन के लिए उत्पादकों को जारी की गई अनुमतियों में दिए गए अनुबंध स्थगित रहेंगे और उनके स्थान पर इस अधिसूचना में दिए गए निदेश उन पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण एक

इस अधिसूचना के लिए 'सूत' से तात्पर्य सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खण्ड 3 की मद (क क) में परिभाषित सूत से होगा। परन्तु उसमें निम्नलिखित समाविष्ट नहीं है :—

8 GI/85

(एक) होजियरी सूत (दो) सिलाई धागा (तीन) औद्योगिक सूत जैसे टायर कार्ड आदि (चार) विभिन्न काउंट के कोप बाटम से रील किए हुए मिश्रित सूत और सिंगल सूत की कम लम्बाई और ढीले छोरों या गांठों वाले कोप-बाटम से रील किए हुए सिंगल काउंट से व्युत्पन्न सूत ।

स्पष्टीकरण दो

(एक) 'हाथरी उपभोग के लिए पैक सूत' इस अभिव्यक्ति से तात्पर्य (एक) उत्पादक जो वस्त्र तथा सूत दोनों का उत्पादन करता हो उसके संबंध में, फैक्ट्री में उसके निजी बुनाई शेड में वस्त्र की बनाई के लिए वास्तविक रूप में उपयोग में लाए गए सूत से अतिरिक्त मात्रा जो भारत में बिक्री के लिए पैक की गई हो से है ।

(दो) सिर्फ सूत का उत्पादन करने वाले उत्पादक के संबंध में, भारत में बिक्री के लिए उसके द्वारा पैक किए गए सूत की पूरी मात्रा से, होगा ।

सुरेश कुमार, अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Textiles)

(Office of the Textile Commissioner)

Bombay, the 30th March, 1985

NOTIFICATION

No. CER|17|85|1 .

F. No. 22|4|81-CTI.—In exercise of the powers conferred on me by clause 20 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby issue the following directions:—

(i) These directions shall come into force on the 1st April, 1985 and shall continue to be in force till the 31st March, 1990.

(ii) These directions shall be complied with by all producers of yarn.

(iii) If a producer of yarn is not able to comply with the provisions of this Notification for valid reasons, he shall apply forthwith to the Textile Commissioner through the concerned Regional Office of the Textile Commissioner in whose jurisdiction the unit is located giving full justification for his inability to comply with the Notification and obtain specific orders of the Textile Commissioner in that behalf.

2. Every producer of yarn shall pack yarn for civil consumption in hank form in each half-yearly period commencing from the April-September, 1985 period and in every subsequent half-yearly period in proportion of not less than fifty per cent of total yarn packed by him during each half-yearly period for civil consumption.

Provided that not less than eighty-five per cent of the yarn required to be packed in hank form shall be of counts 40s and below.

Provided further that the obligation to pack hank yarn pertaining to a particular half-yearly period can be fulfilled before the end of the month succeeding such period to which the obligation pertains.

3. During the operation of these directions, the stipulations contained in the permissions issued to the producers for producing sixty-five per cent of yarn for civil consumption in hank form and ninety per cent of the production in counts below 40s shall remain in abeyance and instead the directions contained in this Notification shall apply to them.

Explanation I

"Yarn" for the purpose of this Notification shall mean yarn as defined in item (aa) of the Clause 3 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948 but does not include the following:—

(i) Hosiery yarn (ii) Sewing thread (iii) industrial yarn like tyre cord etc. (iv) Mixed yarn reeled off from cop bottoms of various counts and yarn comprising single count reeled off from cop bottoms having loose ends or knots at short lengths of single yarn.

Explanation II

The expression "yarn packed for civil consumption" shall (i) in the case of producer producing both cloth and yarn mean yarn packed for sale in India in excess of yarn actually used for weaving of cloth in his own weaving shed in the factory premises and (ii) in the case of a producer producing yarn only mean the entire quantity of yarn packed by him for sale in India.

SURESH KUMAR, Additional Textile Commissioner

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985